

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नावित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करायें। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 06 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाडगेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं दूरगढ़पुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।


उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर रूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान प्रदर्शापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपरिस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)

जिला—राजसमन्वय


क्र.सं	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	गणेश लाल सालवी	राउमावि धनेरिया	रामावि खड़वानगिया	
2	कमलेश पालीवाल	राउमावि गांवगुड़ा	रामावि गुर्जोल	
3	गणपत लाल टेलर	राउमावि डीलवाड़ा	रामावि निचलाघाटड़ा	
4	चम्पा लाल योगी	राउमावि काछबली	रामावि सेंगावास	
5	प्रदीप कुमार धानवी	राउमावि करोली	रामावि लालगाड़ी	
6	जवान सिंह चौहान	राउमावि लाम्बोड़ी	रामावि लाखागुड़ा	
7	कमलेश चन्द्र कुमारत	राउमावि सालोर	रामावि भाटोली	
8	राम सिंह रायत	राउमावि सारोठ	रामावि बिलियावास	
9	बनवारी लाल पारीक	राउमावि बनेड़िया	रामावि बासलिया	
10	उषा द्विवेदी	रावामावि केलवा	रावाउमावि कांकरोली	
11	राधा रेगर	राउमावि गिलुण्ड	रामावि सिन्देरारकला	
12	राजवीर प्रसाद	राउमावि भीम	रामावि ढोलपुरा	

इन्हें यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर
दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिउनि—गा / उदय / संस्था—ब / फा—1063 / 2012–13 / 2593
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) राजसमन्वय।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, हारा संस्थाप्रधान _____।
06. नाटिस बाड़।
07. निर्देशन पत्रावली।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

।। कार्यालय-आदेश ।।

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत कराते हैं। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान रवेच्छया ग्रामीण रोपा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ है। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं डगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जाते।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अधीक्षकरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम घट एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपरिधित नहीं चल रहा है।


पद का नाम—कार्यालय सहायक

क्र.सं	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	नितीन बकरी	रामगोलमावि उदयपुर	जिशिअ (मा-१) उदयपुर	

पद का नाम—वरिष्ठ लिपिक

1	अनिल लोडा	रामावि बस्सी-सलुम्बर	रामावि भोईयो की पचोली	
2	लक्ष्मणलाल मेघवाल	रामावि भोईयो की पचोली	रामावि बरसी-सलुम्बर	
3	राधेश्याम बारवर	राउमावि ओडा-फलासिया	रामावि पई	
4	जगदीश भण्डारी	राउमावि साकरीदा-गिर्वा	राबामावि देवाली, उदयपुर	
5	हरिकान्त तिवारी	रामावि बीरधोलिया-मावली	राबामावि कस्तुरबा, उदयपुर	
6	चन्द्रशेखर नागदा	रामावि बडगांव-मावली	राबामावि जगदीशचौक, उदयपुर	
7	अनिल पालीवाल	राबामावि बेदला, उदयपुर	शिरनि (माध्यमिक) उदयपुर	
8	रेवा शकर आमेटा	रामावि तारावट-बल्लभनगर	राउकंवरपदा उमावि उदयपुर	
9	तिपिन गोरखामी	राउमावि थामला	रामावि बिलोधिरतान कॉलोनी, उदयपुर	
10	शुरवीर सिंह सोलकी	रामावि बिलोधिरतान बौलोनी, उदयपुर	रामावि भटियानी चोहदटा, उदयपुर	
11	प्रेम शकर आमेटा	राबामावि बल्लभनगर	शिरनि (माध्यमिक) उदयपुर	
12	दिनेश चन्द्र श्रीमाली	राउमावि झाडोल-सराढा	राबामावि बेदला, उदयपुर	
13	पन्ना लाल लक्ष्मकार	राबामावि खेरवाडा	रामावि बीरधोलिया-मावली	
14	अशोक खतुरिया	रामावि कुचोली कुम्भ (राजसमंद)	राउमावि साकरीदा गिर्वा	
15	गजेंद्र सालवी	राउमावि भाणदा, उदयपुर	रामावि सरेरा, उदयपुर	
16	शकर लाल सालवी	रामावि सरेरा, उदयपुर	राउमावि भाणदा, उदयपुर	
17	सुधीन्द्र कुमार गोड	रामावि गरीबनगर उदयपुर	राउमावि प्रतापनगर, उदयपुर	
18	रमा खिआणी	राउमावि प्रतापनगर, उदयपुर	राबामावि गरीबनगर, उदयपुर	

इन्हें यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिरनि—मा/उदय/सरथा-ब/फा-1063/2012-13/2594

प्रतिलिपि सूचनार्थे एवं पालनार्थे—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय, उदयपुर।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

।। कार्यालय-आदेश ।।

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करायें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित ज़िलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं झगरपुर से पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर ज़िला रथानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जायें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहरताकारकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान)

ज़िला—उदयपुर

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	श्रीमती ददा चौहान	रामायि खरसाण	रामायि मटुन	
2	श्रीमती नीलिमा शर्मा	रामायि भीमल	रामायि पुलिसलाईन उदयपुर	
3	हितेंद्र सोनी	रामायि बस्ती—सलुम्बर	रामायि पलोदडा	
4	रजनी अग्रवाल	राउमायि सलुम्बर	राउमायि अदवास	
5	अनिता त्यागी	राउमायि मोडी भीण्डर	राउमायि टुसडागीयान भीण्डर	
6	प्रेम प्रकाश व्यास	रामायि गिरवरपोल भीण्डर	रामायि सारगपुरा भीण्डर	
7	अंजना कोठारी	राउमायि दरोली भीण्डर	राउमायि मोडी भीण्डर	
8	निर्मला हडपावत	राउमायि भैरव भीण्डर	रामायि टेकरी	
9	आमा जैन	रामायि पिलादर	रामायि ओडा—सराडा	
10	हेमेन्द्र कुमार आमेटा	राउमायि बम्बोरा	रामायि काया	
11	रामावतार धोबी	राउमायि मगवारा	रामायि भेसडाखुर्द	

इन्हे यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिउनि—मा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012–13/2595

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित ज़िला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय, उदयपुर।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निवेशन पत्रावली।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावे। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिवित जिलों क्रमशः रिसोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं झुगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अध्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है। एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं थल रहा है।

पद का नाम-वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)

जिला-उदयपुर

क्र.सं	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विधिवरण
1	बाबूलाल जैन	रामायि कागदर भाटिया—खेरवाड़ा	रामायि पिपली—घ—खेरवाड़ा	
2	बशीदास वैरागी	राउमायि गुगोरिंहउमायि	राउमायि भावली	
3	उषा शर्मा	राउमायि मावली	गुरु गोरिंह उमायि	
4	टेलशंकर आमेटा	रामायि पलानाखुर्द	रामायि गादोली	
5	जुरफान अहमद	रामायि गादोली	रामायि पलानाखुर्द	
6	श्रीमती निर्मला भट्ट	रामायि कनेरा वितोडगढ़	रामायि बेमला	
7	कालुलाल मीणा	राउमायि ढेलाणा—खेरवाड़ा	रामायि विठीवाड़ा—खेरवाड़ा	
8	लालशंकर जोशी	राउमायि ऋषभदेव—खेरवाड़ा	रामायि बुझडा—गिर्या	
9	दिलीप कुमार मेहता	राउमायि झाडोल—फलासिया	रामायि धार, उदयपुर	
10	कान्तिलाल बुनकर	रामायि बलुआ—सराड़ा	रामायि भोमटावाड़ा	
11	दिनेश कुमार जैन	राउमायि कल्याणपुर	रामायि बन्जारिया	
12	मोहन लाल पटेल	राउमायि केजड़	रामायि गातोड़	
13	दलीचंद बुनकर	राउमायि गीगला	रामायि जाम्बुडा माकडसीमा	
14	नारायण लाल मीणा	रामायि भोराई	रामायि सेथल खरड	
15	मदन लाल मीणा	रामायि गुडेल	रामायि खरबर	
16	जगदीश लाल आमेटा	रामायि गावडापाल	रामायि थड़ा	
17	गणेशलाल सालवी	रामायि सिंधटवाड़ा—सराड़ा	रामायि अमरपुरा सराड़ा	
18	जयशंकर शर्मा	रामायि धाणा—सराड़ा	रामायि नाईजर	
19	प्रेम सिंह मीणा	रामायि अम्गड़	रामायि पाल रासिया	

क्रम संख्या 5 के अंतिरिक्त अन्य को यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिरगि—गा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012—13/2596

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/हितीय, उदयपुर।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संरक्षणप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। सबधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। सबधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर प्रतापगढ़ बारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं झुगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।


उक्त शर्तें पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताकरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)

जिला—उदयपुर

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	कालूराम पटेल	रामावि गरणवास झाडोल	रामावि सुलई, उदयपुर	
2	निर्जन पटेल	रामावि बाघपुरा—झाँ—फ०	रामावि हर्षवाड़ा	
3	मोती लाल पुजारी	रामावि भानसोल	रामावि लदानी	
4	बंशी लाल लौहार	रामावि गवारडी	रामावि मोरठ	
5	कैलाश चंद्र शर्मा	रामावि कालीभीत	रामावि सारंगपुरा भीण्डर	
6	प्यारेलाल मेघवाल	रामावि भरेव लसाडिया	रामावि वाणियातलाई भीण्डर	
7	हेमराज साह	रामावि लकडवास	रामावि पुरोहितों की मादडी	
8	निरुपमा रोलकी	रामावि झाडोल—फलासिया	रामावि धानमण्डी	
9	घनश्याम पालीवाल	रामावि कठार—बडगांव	रामावि कडिया बडगांव	
10	गौतमलाल सालवी	रामावि जोधपुर खुर्द—सलुम्बर	रामावि सुलई	
11	सोमालाल डामोर	रामावि गैजदी—झाडोल फ०	रामावि सकलाल	
12	मोहनलाल खराडी	रामावि बलीधा	रामावि बायडी	
13	अरविन्द कुमार शाह	रामावि खाण्डी ओबरी—खेरवाड़ा	रामावि सून्दरा	
14	रेणुका जैन	रामावि कांकरोली, राजस.	रामावि सुखेर उदयपुर	
15	विलकिस चानू	रामावि गणेशधाटी, उदयपुर	रामावि रेजीडेंसी, उदय	
16	राज्यराधी उपाध्याय	रामावि पीलादर, उदयपुर	रामावि राविना खेड़ा, उदयपुर	
17	नूतन वैदी	रामावि बडगांव, उदयपुर	रामावि धानमण्डी, उदयपुर	
18	लाल शंकर जोशी	रामावि ऋषभेन्दव, उदयपुर	रामावि गोकर्ण विलास, उदयपुर	
19	जगदीश चन्द्र विसलोठ	रामावि जंवाणा भावली, उदयपुर	रामावि घासनीकला, उदयपुर	

इन्हें यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक ३१/५/१२

क्रमांक—शिल्पि—मा/उदय/संस्था—व/फा—1063/2012–13/2597

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं प्रालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।

02. सबधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) ।


03. सबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय उदयपुर।

04. सबधित सरस्थाप्रधान ।

05. सबधित लार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान ।

06. नोटिस बोर्ड।

07. निदेशन प्रग्रामली।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिकों की दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान खेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालायाड, बांसवाड़ा एवं झुगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय धर्मी है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक खेच्छा से अनुपस्थित नहीं रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)

जिला—उदयपुर

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	साधना सनाढ़ी	राउमावि टीड़ी	रामावि मटुन	
2	तेजसिंह बाघेला	राउमावि गोराणा	राउमावि झाडोल—फला	
3	मांगीदास बैरागी	राउमावि वास	रामावि विछीवाड़ा	
4	गिरधारीलाल भील	राउमावि बगडुन्डा	रामावि नीचली सिंगरी	
5	दिनेश चन्द्र जोशी	राउमावि कमोल	रामावि कविता	
6	फतह सिंह	राउमावि बगडुन्डा	रामावि डोडावली	
7	भगवान लाल कलाल	राउमावि भाणदा—खेरवाड़ा	रामावि बन्जारिया	
8	रमेश चन्द्र जोशी	राउमावि गोवर्धनविलास	रामावि बिलोचिस्तान कोलोनी	
9	गीता पालीवाल	रावाउमावि नाथद्वारा (राजसमन्द)	रावाउमावि नाई	
10	शम्मुलाल धोबी	राउमावि झाडोल	रामावि झामरकोटडा	
11	महेश जीनमर	रामावि शोभागपुरा	रामावि देवाली	
12	मोहनलाल धौधरी	रामावि निमडी	रामावि धारता	
13	मोहनलाल मेघवाल	रामावि कराकला	रामावि इसरवास	
14	रोशनलाल पालीवाल	राउमावि पडावलीकला	रामावि काछवा	
15	मोहयुसुफ शेख	रामावि सेमड	रामावि कपिता	
16	गणपतलाल मेनारिया	रामावि नारायणपुरा	रामावि केदारिया	

इन्हें यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिल्पि—मा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012—13/2598

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

- 01 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
- 02 संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
- 03 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय, उदयपुर।
- 04 संबंधित संस्थाप्रधान _____।
- 05 संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
- 06 नोटिस बोर्ड।
- 07 निर्देशन पत्रावली।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। सबधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालन से इस कार्यालय को अवगत करायें। सबधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, द्वारा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं डुगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जायें।


उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य)

जिला—उदयपुर

क्र.सं	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	गुलाबचन्द गरासिया	रामावि गरणवास	रामावि बरोटी	
2	जगदीश लाल जोशी	रामावि सिंघटवाड़ा	रामावि पाल सरसिया	
3	लपलाल पट्टल	रामावि बलिचा खेरवाड़ा	रामावि सकलाल	
4	मोहनलाल भीणा	रामावि सकराणा	रामावि सिंघटवाड़ा	
5	हरिशंकर नागदा	रामावि बछार	रामावि बरडा	
6	भरुलाल सुथार	रात्मावि ढोल	रामावि ओबराकला	
7	ओमप्रकाश शर्मा	रात्मावि जगत	रामावि शिशावी	
8	बालकृष्ण शर्मा	रामावि भुताला	रामावि शोभागपुरा	
9	कालुशंकर भीणा	रात्मावि मसारों की ओबरी	रामावि गरनाला	
10	भद्रसिंह शक्तावत	रात्मावि जावरमाईन्स	रात्मावि लंकडवास	
11	लक्ष्मीलाल बुनकर	रामावि रठोडा	रामावि पाडला	
12	झानेश्वर औदिष्य	रात्मावि जगत	रामावि बेमला	
13	नारायण लाल मेघवाल	रात्मावि कोजावाड़ा	रामावि नवाघरा	
14	रमेश कुमार नायक	रात्मावि फैया	रामावि सुन्दरा	
15	मिद्धा लाल पालीवाल	रात्मावि कुरवड	रामावि बेडवास	
16	सोमा लाल डामोर	रामावि गोजवी—झाफ़	रामावि धायडी—खेरवाड़ा	

इन्हे यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर
दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिवानि—मा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012—13/2599
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

- 01 निदेशक, नाध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
- 02 सबधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
- 03 सबधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय उदयपुर।
- 04 सबधित संस्थाप्रधान _____।
- 05 सबधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
- 06 नोटिस बोर्डः।
- 07 निर्देशन पत्रायली।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हैं तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करायें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाढ़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालायाड़, बांसवाड़ा एवं डूगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अधीक्षकरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय यही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)

जिला—उदयपुर

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विंयिदरण
1	प्रेरणा भट्टनागर	रावाउमावि गोगुन्दा	रामावि बडीउन्दरी—गिर्वा	
2	किशन लाल खटीक	राउमावि गिंगला	राउमावि सलूम्बर	
3	बालचंद पटेल	राउमावि उथरदा सलूम्बर	रामावि चल्लस गिर्वा	
4	जयप्रकाश चौधीसा	राउमावि कोट—रायपुर	रामावि पलोदडा सराडा	
5	भावना बत्रा	राउमावि लोसिंग	रामावि सुखेर	
6	तेजपाल जैन	राउमावि जावर माईन्स	रामावि पुरोहितो की मादडी	
7	कुरुम शर्मा	राउमावि भुवाणा	रामावि चिकलवास	
8	रीता त्रिवेदी	रामावि वाना	रामावि ऐल्वेट्रेनिंग	
9	विनिता भट्ट	राउमावि बम्बोरा	रामावि मटुन, उदयपुर	
10	सुरेश कुमार सेठ	रामावि गेजंवी	राउमावि ओगणा	
11	जीवाराम मीणा	रामावि सागवाडा, उदयपुर	रामावि बायडी	
12	ईश्वरलाल फनाल	राउमावि बलुआ	रामावि कारछा कला	
13	बासुलाल भील	राउमावि कनबई	रामावि गुडा	
14	लीलाशंकर जोशी	रावाउमावि फलासिया	रामावि घार	

इन्हें यात्रा व्यय एवं धोगकाल देय नहीं होगा।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक ३१५/१२

क्रमांक—शितनि—मा/उदय/संरथ—ब/१०—१०६३/२०१२—१३/२६००

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम / द्वितीय, उदयपुर।
04. राबंधित रांरथाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निदेशन पत्रावली।


शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यगत करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान खेच्छा ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं डूगरपुर में पदरथापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जायें।

उक्त शर्तें पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अधोहस्ताकरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक खेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)

जिला—उदयपुर

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवरण
1	फकीर मोहम्मद	रामावि पई	रामावि बुजडा	
2	प्रभुलाल त्रिवेदी	राउमावि बलुआ	राउमावि गडावत	
3	लालसिंह चुण्डापत	राउमावि सराडा	राउमावि घोडासार	
4	राजेश कुमार भट्ट	राउमावि पिलादर	राउमावि सराडा	
5	हेमन्त कुमार दया	राउमावि कुराबड	राउमावि भल्लौकागुडा	
6	प्रदीप कुमार चौधीरा	राउमावि पाणुन्द	राउमावि सारगुपुरा भीण्डर	
7	दिनेश घन्द जैन	राउमावि खरसाण	राउमावि बेडवास	
8	घन्द कुमार झवारिया	राउमावि कोल्यारी	राउमावि भुवाणा	
9	नरसिंह खराडी	राउमावि थाणा	राउमावि सुन्दरा	
10	प्राणजीवन पालीवाल	राउमावि खेमपुर	राउमावि खरताणा	
11	जगदीश प्रसाद धैष्ण्य	राबाउमावि भीण्डर	राउमावि भीण्डर	
12	शमिला मीणा	राबाउमावि सेमारी	राउमावि परसाद	
13	बंशीलाल मेधवाला	राउमावि छाणी	राउमावि सुलई	
14	कुशाल किशोर सिंह	राउमावि ब्राह्मणों का खेरवाडा	राउमावि काया	
15	रजनी नागदा	राउमावि बड़ी उदयपुर	राबाउमावि देवाली, उदयपुर	
16	स्नेह लता जैन	राबाउमावि देवाली, उदयपुर	राउमावि लड़ी, उदयपुर	
17	नीलम योडिया	राबाउमावि लबोक, उदयपुर	राबाउमावि टेकरी, उदयपुर	

क्रम संख्या 16 के अंतिरिक्त अन्य को यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर
दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिल्पि—गा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012–13/2601
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पथम/द्वितीय, उदयपुर।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अधिगत करावे। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यगत करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया यामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, द्वारा, बाढ़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं झुगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे।


उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अध्याहरताकरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—दरिष्ट अध्यापक (गणित)

जिला—उदयपुर

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विभाग
1	कानसिंह राव	रामावि पलानाखुद	रामावि बेडवास	
2	प्रकाशचन्द्र भंवरा	राउमावि आसोलियो की मादडी—सावली	रामावि पुरोहितो की मादडी—गिर्वा	
3	समीर चतुर्वेदी	रामावि रोगाल—सराडा	रामावि पदुणा	
4	श्रीमती रेखा शर्मा	रावाउमावि सुवाणा, भीलवाड़ा	रामावि बुझाड़ा—गिर्वा	
5	रामपूर्णिंह असोलिया	रामावि बडगाँव—मावली	रामावि बिछड़ी—गिर्वा	
6	नितिन पाण्डे	राउमावि केजड़	रामावि केवडा सराडा	
7	गोपिंद सिंह घाकड़	रामावि खरका सलूम्बर	राउमावि सलूम्बर	
8	हीरालाल पटेल	राउमावि सुरखण्ड का खेडा	राउमावि केजड़—सराडा	
9	गोपाल कृष्ण आमेटा	राउमावि अदवास सराडा	रामावि अमरपुरा सराडा	
10	याङ्गल्क्य पाण्डेय	रामावि नाराणपुरा भीण्डर	रामावि राजपुरा भीण्डर	
11	तुलसीराम	रामावि तारावट भीण्डर	रामावि कीकावास भीण्डर	
12	सुनील जैन	राउमावि जगत गिर्वा	रामावि झामरकोटखा	
13	पदम प्रकाश जैन	राउमावि ढिमडी	राउमावि झाडोल—फला	
14	खेमराज लौहार	राउमावि कोल्यारी	रामावि धार	
15	दिनेश चन्द्र चौधरी	रामावि रामा	रामावि सुखेर	
16	बद्रीलाल जाट	रामावि भीमल	रामावि लदानी	
17	महिपाल सिंह चन्द्रावत	रामावि खरसाण	रामावि दुस ढोगियान	
18	अशोक कुमार चपलोत	राउमावि हण्ठाली	राउमावि कतहनगर	
19	शारदा जैन	राबाउमावि जावरमाईस, उदयपुर	राबाउमावि टेकरी उदयपुर	
20	अचना श्रीमाली	राबाउमावि से.नं. 4 उदयपुर	राबाउमावि से.नं. 11 उदयपुर	
21	मजु चौधरी	राबाउमावि से.नं. 11 उदयपुर	राबाउमावि से.नं. 4 उदयपुर	

इन्हे यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।


 शिक्षा उपनिदेशक (माध्यम)
 उदयपुर मण्डल, उदयपुर
 दिनांक 31/5/12

क्रमांक—शिउनि—मा/उदय/संस्था—व/फा—1063/2012—13/2602

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—बीकानेर।

02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।

03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय, उदयपुर।

04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।

05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।

06. नोटिस बोर्ड।

07. निदेशन पत्रावली।


 शिक्षा उपनिदेशक (माध्यम)
 उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय—आदेश ॥

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को आवश्यकता देते हैं। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्थाप्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबंधित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बारा, बाढ़मेर, जैसलमेर, वीकानेर, झालावाड़, बारावाड़ा एवं झूगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विधय वही है, जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद का नाम—वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक

जिला—उदयपुर

क्र.सं	कार्मिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विभिन्न
1	श्रीमती गीता शर्मा	रावाड़मावि फतहनगर	रावाड़मावि भावली	
2	पुष्माजली भाटी	राउमावि साकरोदा—गिर्वा	राउमावि से०४ उदयपुर	
3	कैलाश चन्द्र पुर्विया	राउमावि फलासिया (झाडोल)	राउमावि झाडोल	
4	कन्हैयालाल शर्मा	राउमावि कल्याणपुर	राउमावि सराडा	
5	लक्ष्मण दास वैरागी	राउमावि पलानाकला, उदयपुर	साठकवरपदा उमावि उदयपुर	

पद का नाम—वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष

1	रेणु शर्मा	राउमावि ईटालीखड़ा, उदयपुर	राउमावि खेरोदा उदयपुर	
---	------------	---------------------------	-----------------------	--

इन्हें यात्रा व्यय एवं योगकाल देय नहीं होगा।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

दिनांक ३१/५/१२

क्रमांक—शिउनि—मा/उदय/संस्था—ब/फा—1063/2012—13/2603

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ—

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान—वीकानेर।
02. संबंधित शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) _____।
03. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), प्रथम/द्वितीय, उदयपुर।
04. संबंधित संस्थाप्रधान _____।
05. संबंधित कार्मिक, द्वारा संस्थाप्रधान _____।
06. नोटिस बोर्ड।
07. निर्देशन पत्रावली।

शिक्षा उपनिदेशक (माध्य.)

उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बांसवाड़ा

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अग्रणी कराये। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभ्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबन्धित जिलों क्रांति, सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बालादार, बीकानेर, झालावाड़, बासदारा एवं उदयपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

उक्त शर्तें पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम वहीं है जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

संलग्न:- सूची

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बांसवाड़ा

क्रमांक- जिपिअ/माध्य/बास/संस्था/स्थान/12-13/ ९७८

दिनांक ३।५।२०१२

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान, बीकानेर।
2. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा उदयपुर मंडल उदयपुर।
3. संबंधित संस्थाप्रधान।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा संस्थाप्रधान।
5. नोटिस बोर्ड।
6. निर्देशन पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बांसवाड़ा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) बांसवाड़ा

पद नामः— कनिष्ठ लिपिक

सूची क्रमांक :- 01

क्र.सं	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	घिवि
1	नारेश जोशी	रामगढ़ी, कराकला पं.स. सलूम्हर—उदयपुर	रामगढ़ी, पड़ोली राठोड—बांसवाड़ा	
2	वरदवीर सिंह	रामगढ़ी, सुरक्षानिया—बांसवाड़ा	जिल्हा ०३०, माध्य, बांसवाड़ा	
3	अजयपाल सिंह	रामगढ़ी, टाण्डी नानी—बांसवाड़ा	रामगढ़ी, सुन्द्राव—बांसवाड़ा	
4	निलेश जेन	रामगढ़ी, सगतला—उदयपुर	रामगढ़ी, सुरक्षानिया—बांसवाड़ा	
5	दिनेश घन्टे गरामोद्धा	रामगढ़ी, फलदा—बांसवाड़ा	रामगढ़ी, गागडललाई—बांसवाड़ा	

उक्ता अकित कार्मिको यात्राभत्ता एवं योगकाल देय नहीं होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) बांसवाड़ा

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के समुख अंकित रूपान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त करने अनुपालन से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 06 जुलाई 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

सुनिश्चित करें कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबन्धित जिलों कमश: सिरोही, जालोर, प्रलापगढ़, बांस बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, आलावाड़, बासवाड़ा एवं छुंगरपुर में पदस्थापित शिक्षकों/कार्मिकों को अन्तजिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को तत्काल प्रेषित करें। वर्तमान पदस्थापन स्थान के कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करें कि आदेशित अनुपरिधत नहीं चल रहा है।

संलग्न – सूची

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) चित्तौड़गढ़

क्रमांक:-जिशिचि/मा/सरथा-1/स्थानान्तरण/क.लि./12/1070 दिनांक 01.05.12
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान, बीकानेर।
2. शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा उदयपुर भालूल उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक राजस्थान।
4. संबंधित संस्थाप्रधान।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा संस्थाप्रधान।
6. नोटिस बोर्ड।
7. निर्देशन पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) चित्तौड़गढ़


कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़
 क्रमांक:- जिशिचि/मा/संस्था-१/ स्थानान्तरण/ कलि ०/१२/१०३० दिनांक ३१-०५-२०२४

सूची क्रमांक :-०१

पदनाम :- कनिष्ठ लिपिक

क्र.सं.	कनिष्ठ लिपिक का नाम	कहाँ से	कहाँ को
01.	श्री राजेन्द्रकुमार पालीबाल	राजमावि भद्रेसर	राजमावि संस्था चि०
02.	श्री कृष्ण कन्नौजिया	राजमावि सैथी चि०	राजमावि भद्रेसर
03.	श्री हर्षवर्धन काकानी	राजमावि गंगासर	कार्याजिशिअ.मा. चित्तौड़गढ़
04	श्री कंशीराम शर्मा	कार्याजिशिअ.मा. चित्तौड़गढ़	राजमावि गंगासर
05.	श्री राकेश मोड	रामावि जावदा ॥	कार्याजिशिअ.मा. चित्तौड़गढ़
06.	श्री हितेश जैन	कार्याजिशिअ.मा. चित्तौड़गढ़	रामावि जावदा ॥

नोट:- क्र.सं ०२ व ०४ को यात्रा भत्ता एवं योगकाल प्रदेश होगा।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौडगढ़

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्बुखे अकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबन्धित जिलों कमश: सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बास बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं दूगरपुर में पदस्थापित शिक्षकों/कार्मिकों को अन्तीजिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जायगा सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को तत्काल प्रेषित करें। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय बही है जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वैच्छा से अनुपरिख्यत नहीं चल रहा है।

सलमन—सूची

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) चित्तौडगढ़

कमाक:—जिशिचि/मा/संस्था—१/स्थानान्तरण/जमाचर्चैक/१२/१०१। दिनांक ३।/०५।८।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान, बीकानेर।
2. शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा उदयपुर मण्डल उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक/माध्यमिक राजस्थान।
4. संबंधित संस्थाप्रधान।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा संस्थाप्रधान।
6. नोटिस बोर्ड।
7. निर्देशन पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) चित्तौडगढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़


क्रमांक—जिलेचि/मा/संस्था—१/स्थानान्तरण/चक्रोक०/१२/१०३। दिनांक ३१.०५.०१

सूची क्रमांक :-०१

पदनाम :— जमादार/सहायक कर्मचारी

क्र.सं.	सहायक कर्मचारी का नाम	कहाँ से	कहाँ की
०१.	श्री कालूलाल माली	राउमावि बेगै	राउमावि भद्रेसर
०२.	गोपाल केवर शक्तावत	राउमावि कपासन	राबाउमावि चित्तौड़गढ़
०३.	श्री साधुसिंह रावत	रामावि बबराना	राउमावि जाशमा
०४.	श्रीमती सुन्दरदेवी जाट	रामावि आरणी	राउमावि भट्टो का बामनिया
०५.	श्री ब्रमोदकुमार बारेगामा	राउमावि भट्टो का बामनिया	राउमावि कपासन
०६.	श्री भैरवलाल खटीक	राउमावि कैली	रामावि मुगाना
०७.	श्री अरविन्दकुमार मिश्रा	रामावि मुगाना	रामावि पाण्डोली स्टेशन
०८.	श्री गंगाराम कुम्हार	राउमावि बोहेडा	राउमावि डूगला
०९.	श्री नौगीलाल मीणा	राउमावि डूगला	राउमावि बोहेडा
१०.	श्री रमेशचन्द्र व्यास	रामावि सागवाडा पाल (उदयपुर)	रामावि बड़वाइ (चित्तौड़)
११.	श्री जसवन्तकुमार जैन	राउमावि खोडिप	राबामाविनपीन निम्बाहडा
१२.	श्री ललितकुमार नाई	राउमावि विलोदा	रामावि अरनेड

नोट— क्र.सं. ०७ वे ०९ को यात्रा भता एवं योगकाल प्रदेय होगा।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 (माध्यमिक) चित्तौड़गढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) डूँगरपुर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय स्थान पर अवगत करावें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबन्धित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बांरा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं डूँगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तर्जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वहीं है जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वैच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद नाम:- क.लि.

क्र.सं	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवि
1	श्री भगवतीप्रसाद द्विवेदी	राबाउमावि आसपुर	रामावि आरा	
2	श्री ललित कुमार पण्डया	रामावि आरा	राउमावि दिवडा बडा	

८३१
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) डूँगरपुर

दिनांक ३१.५.२०१२

क्रमांक:- जिषिअ/माध्य/डूँगर/संस्था/स्थान/12-13/ ३०७

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान, बीकानेर।
- 2 उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा उदयपुर मंडल उदयपुर।
- 3 संबंधित संस्थाप्रधान।
- 4 संबंधित कार्मिक द्वारा संस्थाप्रधान।
- 5 नोटिस बोर्ड।
- 6 निर्देशन पत्रावली।

८३१
जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) डूँगरपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) डूँगरपुर

(8)

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल को अवगत करावें। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बांरा, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं डूँगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तजिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्ते पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वहाँ है जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वैच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद नाम:- जमादार

क्र.सं	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवि
1	श्री प्रभुनाथ जोगी	रा.महिपाल उमावि सागवाड़ा	राजमावि साबला	


जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) डूँगरपुर
दिनांक ३१-५-२०१२

क्रमांक:- जिषिअ/माध्य/डूँगर/संस्था/स्थाना/१२-१३/ ३०८

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान, बीकानेर।
- 2 उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा उदयपुर मंडल उदयपुर।
- 3 संबंधित संस्थाप्रधान।
- 4 संबंधित कार्मिक द्वारा संस्थाप्रधान।
- 5 नोटिस बोर्ड।
- 6 निर्देशन पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) डूँगरपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) डूंगरपुर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबन्धित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बांरा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं डूंगरपुर में पदस्थापित कार्मिकों को अन्तजिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वहीं है जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वैच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद नामः— चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / प्र.शा.से.

क्र.सं	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवि
1	श्री देवीलाल जैन	राउमावि सरोदा	राउमावि सागवाडा	
2	श्रीमती कैलाश देवी जैन	राउमावि साबला	राउमावि थाणा	
3	श्री बदामीलाल कटारा	राउमावि लासपुर	राउमावि वसी	
4	श्रीमती कमला डामोर	राउमावि वैकासनगर	राउमावि झलाप	
5	श्री अरविन्दसिंह अहाडा	राउमावि ठाकरडा	राउमावि बोखलापाल	
6	श्रीमती राधा देवी मसार	राबाउमावि खडगदा	राउमावि कुँआ	
7	श्रीमती कंकु बंजारा	रामावि रामसौर पीठ	राउमावि धम्बोला	
8	श्री जयन्तिलाल रोत	राउमावि बरबोदनिया	राबाउमावि टाउन डूंगरपुर	
9	श्री नारायणलाल भोई	राउमावि बरबोदनिया	राउमावि वरदा	
10	श्री रफिक मोहम्मद	राउमावि वरदा	रामहारावल उमावि डूंगरपुर	

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) डूंगरपुर

दिनांक ३१.५.२०१२

क्रमांक— जिशिअ / माध्य / डूंगर / संस्था / स्थाना / १२-१३ / ३०९

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

- निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा — राजस्थान, बीकानेर।
- उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा उदयपुर मंडल उदयपुर।
- संबंधित संस्थाप्रधान।
- संबंधित कार्मिक द्वारा संस्थाप्रधान।
- नोटिस बोर्ड।
- निर्देशन पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) डूंगरपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजसमन्द

कार्यालय— आदेश

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के समुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित रास्था प्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावे। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05-07-2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यव्यवहरण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबन्धित जिलों कमशा— सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बांसा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बांसवाड़ा एवं ढूगरपुर में पदस्थापित शिक्षकों को अन्तजिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अधमेहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्था प्रधान कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

क्र०सं०	नाम कार्मिक	पद	पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान
01	श्री भंवरसिंह भाटी	क०लि०	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजसमन्द	रामावि मुण्डोल
02	श्री रजनीश पालीवाल	क०लि०	रामावि मुण्डोल	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजसमन्द

क्र.सं.01 एवं 02 पर अंकित कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल प्रदेय होगा।

२०२२
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक राजसमन्द

क्रमांक:- जिशिअ/माध्य/राजस/संस्था-1/फा-स्था/12/क०५६ दिनांक 31-०५-२०१२

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01 निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा —राजस्थान बीकानेर।

02 शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक उदयपुर मण्डल, उदयपुर।

03 संबंधित संस्था प्रधान

04 संबंधित कार्मिक श्री

05 कार्यालय हाजा।

२०२२
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक राजसमन्द

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राजसमन्व

कार्यालय— आदेश

कार्यालय- जाप्ता
निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्था प्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुधालना से इस कार्यालय को अवगत करायें। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05-07-2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

आदेश में ओक्टॉट है एवं कानूनक रूप-सूची वर्ष २०१३				
क्रमसंख्या	नाम कार्यक्रम	पद	पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान
01	श्री विक्कम सिंह	च०श्रेष्ठोक्त०	राउमाड़ि बरार	राउमाड़ि काछबली
02	श्री गणपति लाल कीर	च०श्रेष्ठोक्त०	राउमाड़ि एमडी	राउमाड़ि मोठी
03	श्री अम्बालाल बलरई	च०श्रेष्ठोक्त०	राउमाड़ि पौपलान्त्री	राउमाड़ि लायो का खेडा
04	श्री निरुत्तलाल जोशी	च०श्रेष्ठोक्त०	रामाड़ि सेहन्त्री	रामाड़ि मजेरा
05	श्रीमती शान्ता	च०श्रेष्ठोक्त०	रावामाड़ि केलवा	राउमाड़ि भीम

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक राजसन्दर्भ

क्रमांक:- जिशिआ/माध्या/राजस/संस्था-1/फा-२४३/१२/५९७ दिनांक ३१-०५-२०१२

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

१। निवेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान खीकानेर।

०२ शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक उदयपुर मण्डल, उदयपुर।

०३ संबधित संस्था प्रधान

०४ सद्वित कार्मिक श्री

05 कार्यलय संज्ञा ।

३८२

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रतापगढ़

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर जनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावे। संबंधित कार्मिकों को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक साजस्थान प्रतापगढ़, बांसा, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं दुंगरपुर में पदस्थापित शिक्षकों को अन्तजिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

उक्त राते पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है जो आदेश में अकित है एवं कार्मिक स्वैच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद नाम— चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

क्र.सं	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	विवि
1	जाना मीणा	रामावि खेरोट	रामावि सेमलिया	
2	बाधुलाल मीणा	रामावि सेमलिया	रामावि खेरोट	
3	गट्टुसिंह राजपुत	राउमावि कोटडी	राउमावि जरनोद	
4	चांदमल शर्मा	राउमावि निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़	राउमावि कोसुदा	
5	दिनेश मीणा	रामावि खेरोट	कार्यालय जिलिया (माध्य) प्रतापगढ़	
6	नगजी मीणा	राउमावि जलोदा जागीर	राउमावि देवगढ़	

क्र०स० 2 पर अकित कार्मिक को नियमानुसार यात्राभत्ता एवं योगकाल प्रदेय होगा।

**जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) प्रतापगढ़**

दिनांक 31-5-2012

क्रमांक:- जिलिया / माध्य / प्रताप / संस्था / स्थाना / 12-13 / 478

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—**
1. निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा — राजस्थान, बीकानेर।
 2. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा उदयपुर मंडल उदयपुर।
 3. संबंधित संस्थाप्रधान।
 4. संबंधित कार्मिक द्वारा संस्थाप्रधान।
 5. नोटिस बोर्ड।
 6. निदेशन पत्रावली।

**जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) प्रतापगढ़**

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रतापगढ़

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबन्धित जिलों क्रमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बांस, बाडमेर, जैसलमेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं झुगरपुर में पदस्थापित शिक्षकों को अन्तजिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्य यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वैच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

पद नाम:- प्रयोगशाला सेवक

क्र.सं	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान	तिवि
1	इन्द्रसिंह सिसोदिया	राउमावि प्रतापगढ़	राबाउमावि छोटीसाढ़ी,	

क्रमांक:- जिशिज/माध्य/प्रताप/संस्था/स्थान/12-13/ 479


जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) प्रतापगढ़

दिनांक 31-5-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान, बीकानेर।
- उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा उदयपुर मण्डल उदयपुर।
- संबंधित संस्थाप्रधान।
- संबंधित कार्मिक द्वारा संस्थाप्रधान।
- नोटिस बोर्ड।
- निर्देशन पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) प्रतापगढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम उदयपुर राज.

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालन से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यमुक्त करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबन्धित जिलों कमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बांसा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालावाड़, बासवाड़ा एवं डंगरपुर में पदस्थापित शिक्षकों को अन्तर्जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

क्र.	कार्मिक का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान
1.	सुमाध चन्द्र सनाद्य	क.लि.	कार्यालय शिल्पि मा उदयपुर	रामावि देवाली उदयपुर
2.	भंवरसिंह चौहान	क.लि.	रामावि देवाली उदयपुर	कार्यालय शिल्पि मा उदयपुर
3.	जगदीश जाजपुरा	क.लि.	कार्यालय शिल्पि मा उदयपुर	शाबाउमावि रेजीडेन्सी उदयपुर
4.	मोहम्मद रफीक	क.लि.	कार्या जिशिअ मा.प्रथम उदयपुर	रामावि गणेशधाटी उदयपुर
5.	रमेश चन्द्र जैन	क.लि.	रामावि भुपालपुरा उदयपुर	कार्या. जिशिअ माध्यमिक प्रथम उदयपुर
6.	अम्बालाल नाली	क.लि.	रामावि गणेशधाटी उदयपुर	रामावि भुपालपुरा उदयपुर
7.	मीनाली पवार	क.लि.	रामावि बावागान गिर्वा	रामावि गुरु गोविन्दसिंह उदयपुर
8.	नरेन्द्रपालसिंह शणावत	क.लि.	रामावि देवपुरा सराडा	शाबाउमावि बल्लभनगर उदयपुर
9.	राजेन्द्रकुमार व्यास	क.लि.	रामावि सरेश खेरवाडा	रामावि छाणी खेरवाडा
10.	नवनीतकुमार नायक	क.लि.	रामावि करावाडा उदयपुर	रामावि आडीदली खेरवाडा
11.	कपील भट्टनागर	क.लि.	रामावि गोडव उदयपुर	कार्या शिल्पि मा. उदयपुर

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम उदयपुर

दिनांक 31-5-2012-

क्रमांक:-जिशिअ/मा/उदय/संस्था।/फा-स्था/2012/ 705-06 दिनांक 31-5-2012-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान, बीकानेर

1. निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान, बीकानेर

2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम /द्वितीय.....

3. संबंधित संस्थाप्रधान

4. संबंधित कार्मिक द्वारा संस्थाप्रधान

5. नोटिस बोर्ड

6. निर्देशन पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम उदयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम उदयपुर राज.

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हे तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबन्धित जिलों कमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बांसा, बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, वासवाड़ा एवं डूगरपुर में पदस्थापित शिक्षकों को अन्तजिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जायें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वही है जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक स्वैच्छा से अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

क्र.	कार्मिक का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान
1	संजय जैन	क.लि.	रामावि बनोडा सलूम्बर	रामावि गांधी चौक सलूम्बर
2	जसवन्तसिंह राठौड़	क.लि.	रामाविगांधीचौक सलूम्बर	रामावि बनोडा सलूम्बर
3.	दयाशकर जोशी	क.लि.	राउमावि बगडून्दा गोगुन्दा	रामावि ढोल गोगुन्दा
4.	राजकुमार पोखरना	क.लि.	राउमावि ढोल गोगुन्दा	राउमावि बगडून्दा उदयपुर


 जिला शिक्षा अधिकारी
 माध्यमिक प्रथम उदयपुर

क्रमांक:-जिशिअ/मा/उदय/संस्था।/फा-स्था/2012/ 705-06 दिनांक ०१.५.२०१२ प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान, बीकानेर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय.....
3. संबंधित संस्थाप्रधान
4. संबंधित कार्मिक द्वारा संस्थाप्रधान
5. नोटिस घोर्ड
6. निर्देशन पत्रावली


 जिला शिक्षा अधिकारी
 माध्यमिक प्रथम उदयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम उदयपुर राज.

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालन से इस कार्यालय को अवगत करावें। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जुलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबन्धित जिलों कमशः सिरोही, जालोर, प्रतापगढ़, बांरा, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, यासवाड़ा एवं झुंगरपुर में पदस्थापित शिक्षकों को अन्तर्जिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्ते पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाकर सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे। वर्तमान पदस्थापन स्थान के संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आदेशित कार्मिक का नाम पद एवं विषय वहीं है जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक रवैच्छा से अनुपस्थित नहीं घल रहा है।

क्र.	कार्मिक का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान
1	वेणीराम तेली	च.श्रे.क.	रामावि पई गिर्वा उदयपुर	रामावि सीलारना, उदयपुर
2	कालूलाल मीणा	च.श्रे.क.	रामावि फलासिया उदयपुर	रामावि ओडा उदयपुर
3	रामलाल पटेल	च.श्रे.क.	रामावि मसारों की ओबरी उदयपुर	रामावि जवासे खैरवाड़ा उदयपुर
4	एकलिंगदास वैराणी	च.श्रे.क.	रामावि बडीउन्दरी उदयपुर	रामावि ओगांगा, उदयपुर
5.	धन्नादास वैष्णव	प्रशासेवक	रामावि मावली उदयपुर	रामावि बल्लामनगर उदयपुर
6	अनील दये	प्रशासेवक	स्वाधिकारन्द उनावि जावरमाईन्स	रामावि रेजीडेन्सी उदयपुर
7.	सोहनसिंह सीलकी	प्रशासेवक	रामावि मावली उदयपुर	रामावि भीण्डर उदयपुर

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम उदयपुर

क्रमांक:-जिशिअ/मा/उदय/संस्था।/फा-स्था/2012/763-04 दिनांक ३१.५.२०१२
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान, बीकानेर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय
3. संबंधित संस्थाप्रधान
4. संबंधित कार्मिक द्वारा संस्थाप्रधान
5. नोटिस बोर्ड
6. निर्देशन पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम उदयपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम उदयपुर राज.

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिकों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं। संबंधित संस्थाप्रधान इन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करावे। संबंधित कार्मिक को दिनांक 05 जूलाई, 2012 तक आवश्यक रूप से स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करना होगा।

स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यमुक्त करने से पूर्व संस्था प्रधान ने सुनिश्चित करेंगे कि कार्मिक राजस्थान स्वेच्छाया भ्रान्तीय शिक्षा रोड़ा नियम 2010 के सहित नियुक्त नहीं हुआ हो। प्रतिबन्धित जिलों कमश: सिरोही, जालोर प्रतापगढ़, बीरा, राजमंडी, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, बासवाड़ा एवं डुंगरपुर में पदस्थापित शिक्षकों का अन्तिमिला स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त नहीं किया जावें।

उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा सूधना अद्यौहस्ताक्षरकर्ता को तत्काल प्रेषित करेंगे; वर्तमान पदस्थापन राजाने से संस्थाप्रधान कार्मिक को कार्यमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अद्यौहस्ताक्षरकर्ता का नाम पद एवं विषय वही है जो आदेश में अंकित है एवं कार्मिक रैपीडी रोजूपरिवर्त नहीं छल रहा है।

कार्मिक का नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान	स्थानान्तरित स्थान
1. अमरलाल मिधवाल	च. श्र.क.	राजामार्वि भीष्ठहर	राजसरेन बालमार्वि लालिं
2. शोएललाल मेधवाल	च. श्र.क.	राजभर्सेन बालमार्वि कानोड़	धरुर राजमार्वि कमलोल उदयपुर
3. अंकरलाल मेधवाल	च. श्र.क.	धरुरा राजमार्वि कानोड़	राजमार्वि भीष्ठहर
4. उदयलाल व्यास	च. श्र.क.	राजमार्वि खरसाण बह्लसभनगर	राजमार्वि खरसाण भीष्ठहर
5. मालनलाल गर्ग	च. श्र.क.	राजमार्वि खेरोदा उदयपुर	राजमार्वि खरसाण उदयपुर
6. नारायणलाल हरीजान	च. श्र.क.	राजमार्वि युराबह उदयपुर	राजमार्वि परमटा उदयपुर
7. प्रभुलाल गंधवाल	च. श्र.क.	राजमार्वि परमदा उदयपुर	राजमार्वि युराबह उदयपुर
8. उदयलाल जाशी	च. श्र.क.	राजमार्वि कोल्यारी उदयपुर	राजमार्वि गोराना, उदयपुर
9. पन्नलाल पालीदाल	च. श्र.क.	राजमार्वि गोराना, उदयपुर	राजमार्वि कोल्यारी उदयपुर


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम उदयपुर

क्रमांक - जिशिअ/भा/उदय/सरथा।/फा-स्था/2012/ ७०३-०५ दिनांक ३१.५.२०१२
प्रतिलिपि निम्नांकित क्रीं सुचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यधारी उत्तु प्रभित हैं -

1. निटेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा - राजस्थान, बीकानेर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय
3. संचालित संस्थाप्रधान
4. संबंधित कार्मिक हारा सरथाप्रधान
5. नोटिसा बोर्ड
6. निर्देशन प्रशायली


जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम उदयपुर